प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला SIW भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 424/2022 दिनांक 22.10.2022

2. (I) अधिनियम ... धारायेंः–. धारा 7 पी0सी0 (संशोधन) एक्ट 2018
(II) अधिनियम .....धारायें .....
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....411..... समय 7:10 P.M.
(ब) अपराध घटने का वार.....शुक्रवार .....दिनांक 21.10.2022 समय 7.17 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 17.09.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक– लिखित

5. घटनास्थल :– सवाई माधोपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब दक्षिण दिशा में करीब 175 कि0मी0
(ब) पता..... सरकारी क्वाटर चेयरमैन नगर परिषद जिला सवाई माधोपुर।
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नामः– श्री कमलेश कुमार सैनी .....
(ब) पिता/पति का नामः– श्री गंगालाल
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....उम्र 35 साल.....
(द) राष्ट्रीयताः– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्याः– जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसायः–ठेकेदारी
(ल) पताः– बागडोली, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर हाल सीतामाता रोड सवाई माधोपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
श्री विमल चंद महावर पुत्र श्री बजरंग लाल महावर, उम्र 52 साल, जाति महावर, निवासी गुरूद्वारे के पास ब्रहम्पुरी मोहल्ला सवाई माधोपुर हाल चेयरमैन नगर परिषद जिला सवाई माधोपुर।

8. परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
रिश्वती राशि 30,000/– रूपये

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 30,000/– रूपये**

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 17.09.2022 को अति0 पुलिस अधीक्षक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग भ्र नि ब्यूरो जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री कमलेश कुमार सैनी पुत्र श्री गंगालाल सैनी, जाति माली, निवासी बामडोली, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर हाल सीतामाता रोड सवाई माधोपुर से परिवादी के रूप में परिचय करवाते हुए, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिसपर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईडब्लू, भ्रनिब्यूरो जयपुर को संम्बोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व इस पर मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही हैं। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि" मैं कमलेश कुमार सैनी पुत्र श्री गंगालाल सैनी, जाति माली, निवासी बामडोली, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर हाल सीतामाता रोड सवाई माधोपुर का रहने वाला हुँ। मैने फर्म श्री संत इलेक्ट्रीकल्स के जरिये नगर परिषद सवाई माधोपुर में वर्ष 2021–22 का रोड लाईट रख रखाव का कार्य किया था, जिसका 6 माह का बिल 3,45,570 रूपये का पेश किया था। उक्त बिल पास करवाने के लिए नगर परिषद सवाई माधोपुर के चेयरमैन श्री विमल चंद महावर मुझसे उक्त बिल राशि के लिए 58 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे है एवं रिश्वत नहीं देने पर मेरा बिल पास नहीं करने की धमकी दे रहे है। मै सभापति श्री विमल चंद को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। श्री विमल चंद से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी अथवा रंजिश नहीं है एवं सभापति से मेरा पूर्व का उधार का लेनदेन भी नहीं है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर परिवादी को गोपननीय मांग सत्यापन कार्यवाही के सम्बंध में कहा गया तो परिवादी ने अवगत करवाया कि अभी 5–7 दिन

मुझे जरूरी कार्य है इसलिए मैं व्यस्त रहूंगा एवं संदिग्ध से समय लेकर ही उसके पास वार्ता हेतु जाना पडेगा, अतः मैं संदिग्ध आरोपी से मिलने हेतु समय लेकर आपको अवगत करवा दूंगा। जिस पर कार्यालय के श्री लक्ष्मीनारायण कानि 258 को तलब कर उनका परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा कार्यालय हाजा की आलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी को संदिग्ध द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बंध में आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा श्री लक्ष्मीनारायण कानि नं. 258 को हिदायत की गई कि परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी जब भी रिश्वत राशि की मांग के सम्बंध में संदिग्ध के पास वार्ता करने जाये तो उससे पूर्व कार्यालय से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी के पास पहुंचकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें तथा परिवादी द्वारा संदिग्ध से बातचीत करने के दौरान गोपनीय रूप से उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं संदिग्ध से मिलने हेतु समय लेकर मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

दिनांक 12.10.2022 को परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी ने जरिये फोन मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि संदिग्ध आरोपी ने मुझे मिलने हेतु बुलाया है इसलिए आज मैं उससे वार्ता करने उसके पास जाउंगा। इस पर कार्यालय के श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 को तलब किया गया तथा कार्यालय हाजा की आलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर श्री लक्ष्मीनारायण कानि. को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी के पास पहुंचकर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने हेतु आवश्यक हिदायत की जाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात रात्रि करीब 8.15 बजे श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 ने जरिये फोन मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि कार्यालय से रवाना होकर मैं रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर पहुंच गया था जहां परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी उपस्थित मिले तत्पश्चात हम वहां से रवाना होकर सिविल लाईंस सवाई माधोपुर स्थित संदिग्ध आरोपी के सरकारी क्वाटर के पास पहुंचे जहां पर परिवादी के वार्ता हेतु संदिग्ध के पास जाने से पूर्व मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया था। परिवादी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध के पास वार्ता हेतु गया था तथा परिवादी ने संदिग्ध के साथ हुई वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तथा बाद वार्ता रिकॉर्डर मुझे लाके दिया जिसे मैने बन्द किया था। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री लक्ष्मीनारायण कानि. की बातों की ताईद करते हुए अवगत कराया कि संदिग्ध से हुई वार्ता के अनुसार उसने मुझे मिलने हेतु सिविल लाईन स्थित उसके सरकारी क्वाटर पर बुलाया था इसलिए मैं व श्री लक्ष्मीनारायण कानि. सिविल लाईन सवाई माधोपुर स्थित उसके क्वाटर के पास पहुंचे जहां पर श्री लक्ष्मीनारायण कानि. ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू करके सपुर्द किया था। उसके बाद मै संदिग्ध के क्वाटर के अन्दर गया तो संदिग्ध आरोपी मुझे वहां पर मौजूद मिला वहां पर मेरी संदिग्ध आरोपी से मेरे पैण्डिग बिलों के बारे में वार्ता हुई तो संदिग्ध आरोपी ने मुझसे मेरे बकाया बिल पास करने की एवज में 58 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। आरोपी रिश्वत राशि दिये जाने हेतु मुझ पर दबाव बना रहा था इसलिए पहले मैने उसको कहा था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है दीपावली बाद पैसे की व्यवस्था होने पर दूंगा इसलिए अब आरोपी ने मेरे शुरू के छ माह के करीब 3 लाख 45 हजार रूपये का भुगतान करवा दिया है एवं उक्त बिलों के भुगतान की एवज में 58 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। अभी मेरे 8 माह के करीब 4 लाख 50 हजार रूपये के बिल और पैण्डिंग हैं। आरोपी ने मांग सत्यापन वार्ता के दौरान ही उक्त 58 हजार में से 20 हजार रूपये मुझ से ले लिए हैं मैने भी उसको शक नहीं हो इसलिए उसकी मांग के अनुसार 20 हजार रूपये उसको दे दिये। आरोपी ने बकाया 38 हजार रूपये रिश्वत राशि की और मांग की है एवं कहा है कि मैं बकाया 38 हजार रूपये रिश्वत राशि नहीं दूंगा तब तक वह मेरे बकाया बिलों को पास नहीं करेगा। मेरे और संदिग्ध के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड की है। तत्पश्चात परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं श्री लक्ष्मीनारायण कानि. को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित लेकर कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 13.10.2022 को श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया तथा उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग किया जाना सत्यापित हुआ।

दिनांक 19.10.2022 को परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार मिश्रा पुत्र श्री निरंजन लाल मिश्रा, जाति शर्मा, उम्र 53 साल निवासी 61/64 रजत पथ मानसरोवर जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड द्वितीय (दक्षिण) ज्योति नगर जयपुर व श्री उत्तम चंद पुत्र श्री खेमचंद जाति रैगर, उम्र 58 साल निवासी प्लाट नं0 10 महालक्ष्मी नगर गजसिंहपुरा सुराना फार्म अजमेर रोड जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड द्वितीय (दक्षिण) ज्योति नगर जयपुर तलब किये गये।
परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर उनके समक्ष डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से सुनाया जाकर हस्बकायदा वार्ता की फर्द

ट्रांसकिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मुर्तिब की गई। तथा कम्प्यूटर की सहायता से पांच सीडियां तैयार की जाकर, चार सीडियों को शील्ड मोहर किया गया तथा एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुली रखा गया। फर्द ट्रांसकिप्ट व सीडियों पर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके बाद परिवादी को रिश्वत राशि के सम्बंध में कहा गया तो परिवाद ने अवगत करवाया कि अभी मेरे पास रूपयों की व्यवस्था नहीं है, 2–4 दिन में कार्यवाही हेतु रूपयों की व्यवस्था होते ही मैं आपको अवगत करवा दूंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं रिश्वत राशि की व्यवस्था कर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होने व अन्य आवश्यक हिदायत की जाकर रूखसत किया गया। दिनांक 20.10.2022 को परिवादी ने जरिये फोन मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि मेरी संदिग्ध आरोपी से मोबाईल पर वार्ता हुई है। संदिग्ध आरोपी मुझ पर रिश्वत राशि देने हेतु दबाव डाल रहा है इसलिए मैने उसकी मांग के अनुसार रिश्वत राशि की भी व्यवस्था कर ली है। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 21.10.2022 को रिश्वत राशि सहित सवाई माधोपुर में मिलने एवं मोबाईल फोन चालू रखने एवं अन्य आवश्यक हिदायत की गई तथा तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान व कार्यालय स्टॉफ को भी दिनांक 21.10.2022 को प्रातः 9.30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। दिनांक 21.10.2022 को प्रातः 10.30 बजे मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रैप पार्टी मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही दो सरकारी वाहनों से दक्षिण दिशा के लिए रवाना हुआ। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी हमराह दूसरी गाडी के डैसबोर्ड में रखवाई गई तथा मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जरिये फोन परिवादी को रिश्वत राशि सहित दोपहर 1.00 बजे जिला एवं सत्र न्यायालय सवाई माधोपुर के सामने मिलने हेतु निर्देशित किया गया। दोपहर 1.00 बजे मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा जिला एवं सत्र न्यायालय सवाई माधोपुर के सामने पहुंचे जहां परिवादी उपस्थित मिले तत्पश्चात परिवादी को उसके वाहन से साथ–साथ चलने की हिदायत कर वहां से रवाना होकर रणथम्भौर रोड विज्ञान नगर सवाई माधोपुर स्थित होटल टाईगर होम पहुंचे। दोपहर 1.45 बजे मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को संदिग्ध आरोपी श्री विमल चंद, चेयरमैन को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी ने अपने पास से 2000–2000 रूपये के 15 भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 30,000/–रूपये निकाल कर, गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। उक्त सभी नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित करवाये गये। तत्पश्चात उपरोक्त सभी 2000–2000 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 30,000/–रूपये पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री कल्याण सहाय कानि नं. 383 से हमराह दूसरी गाडी के डैसबोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी की जामा तलाशी गवाह श्री उत्तम चंद से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 30,000/–रू0 के नोट सीधे ही श्री कल्याण सहाय कानि. से परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री कल्याण सहाय कानि जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री कल्याण सहायक कानि से होटल के कमरा नं0 टी–3 की आलमारी में रखवायी जाकर अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर श्री कल्याण सहाय कानि के हाथों व गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री कल्याण सहाय कानि. 383 को होटल में ही रहने की हिदायत कर यहीं छोडा गया। रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। उक्त की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। उसके बाद दोपहर

3.30 बजे मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ट्रैप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही सरकारी/निजी वाहनों से रवाना होकर करीब दोपहर 3.40 बजे सिविल लाईंस सवाई माधोपुर स्थित संदिग्ध आरोपी के क्वाटर के पास पहुंचे, जहां परिवादी ने अवगत करवाया कि अभी संदिग्ध के पास दीपावली के अवसर पर मिलने वालों की भीड है इसलिए अभी उससे मिलना सम्भव नहीं होगा, हमें इंतजार करना पडेगा। जैसे ही भीड कम होगी तब मैं उसके पास जाउंगा। जिसपर परिवादी व जाप्ता को आवश्यक हिदायत कर गोपनीय रूप से आस पास मुकीम हुए। तत्पश्चात सांय 6.50 बजे परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि अब भीड कम हो गई है इसलिए अब मैं संदिग्ध आरोपी के पास जाउंगा। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वाहनों को साईड में खडे करवाकर स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को गाडी से नीचे उतरवाकर, उक्त क्वाटर के आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना कर ट्रैप हेतु जाल बिछाया। श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 ने अवगत करवाया कि मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया है। उसके बाद सांय 7.17 बजे परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी ने सरकारी क्वाटर चेयरमैन नगर परिषद सवाई माधोपुर के मेन गेट से बाहर निकलते हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान तथा जाप्ते को साथ लेकर परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया गया, परिवादी ने साथ–साथ उक्त क्वाटर के अन्दर प्रवेश करते हुए क्वाटर के मुख्य द्वार के पास अन्दर की तरफ खडे हुए व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये ही विमल चंद महावर चेयरमैन हैं जिन्होंने अभी अभी मुझ से मेरे बकाया बिलों को पास करने की एवज में इनकी पूर्व मांगनुसार 30,000 रूपये रिश्वत के रूप में लिए हैं, इन्होंने मुझसे पैसे लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे वाली बायीं साईड की जेब में रखे हैं। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व हमराही जाप्ते ने उक्त क्वाटर के मुख्य द्वार के पास अन्दर की तरफ खडे हुए व्यक्ति को अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व दोनों स्वतन्त्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम श्री विमल चंद महावर, चेयरमैन नगर परिषद जिला सवाई माधोपुर होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा कि आपने अभी–अभी इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि अभी–अभी ये कमलेश कुमार मेरे पास आये थे, मैने इनसे कोई रूपये नहीं लिए हैं। इस पर वहां उपस्थित परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए कहा कि मेरे नगर परिषद सवाई माधोपुर में रोड लाईट रखरखाव के छ माह के बिल पैण्डिंग है यह श्री विमल चंद महावर उक्त बिलों को पास करने की एवज में मुझसे 58 हजार रूपये रिश्वत के रूप में मांग रहा था जिसमें से 20 हजार रूपये मैने दिनांक 12.10.2022 को मांग सत्यापन के दौरान इनको दे दिये थे, जिसको मैने आपके निर्देशानुसार डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके भी दिया था, तथा उसमें से 30 हजार इनकी मांग के अनुसार मैंने आज इनके मांगने पर इनको दिये हैं। इस पर आरोपी को यथा स्थिति हमराह साथ लेकर उक्त क्वाटर के ड्राईंग रूम में आये। इसके पश्चात श्री विमल चंद महावर ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम विमल चंद महावर पुत्र श्री बजरंग लाल महावर, उम्र 52 साल, जाति महावर निवासी गुरूद्वारे के पास ब्रहम्पुरी मोहल्ला सवाई माधोपुर हाल चेयरमैन नगर परिषद जिला सवाई माधोपुर है। तत्पश्चात आरोपी श्री विमल चंद महावर को तसल्ली देकर पूछा कि आपने दिनांक 12.10.2022 को परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी से उसके बकाया बिलों को पास करने की एवज में 58 हजार रूपये मांगे थे, इस पर आरोपी श्री विमल चंद महावर चुप हो गया।

इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरहं साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री विमल चंद महावर, चेयरमैन के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गंदमैला हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री विमल चंद महावर को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.–1 व आर.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद एक दूसरे साफ कांच के गिलास में पुनः पूर्वानुसार साफ धुलवाकर पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में श्री विमल चंद महावर के बांये हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित दोनों गवाहान व श्री विमल चंद महावर को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री उत्तम चंद से आरोपी श्री विमल चंद महावर की तलाशी लिवाई गई तो उसके द्वारा पहनी हुई पेन्ट की पीछे वाली बायीं साईड की जेब में 30,000 रूपये मिले, जिनको गिनकर दोनों गवाहान ने 2000–2000 रूपये के 15 नोट, कुल 30,000 रू0 होना बताया।

दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त सभी नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर हूबहू उसी नम्बर के 30,000 रू0 के नोट होना पाये गये। बरामद शुदा 30,000/–रू0 को एक सफेद कागज में सील मोहर करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी को पहनने हेतु दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाई जाकर पहनी हुई पेन्ट

को निकलवाया जाकर पेन्ट की पीछे वाली बायीं साईड की जेब के धोवन हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का खाली गिलास निकालकर उसको अच्छी तरहं साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री विमल चंद महावर की उक्त पेन्ट की पीछे वाली बायीं साईड की जेब जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई थी उस जेब को बाहर निकालकर उल्टा कर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री विमल चंद महावर को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा श्री विमल चंद महावर की पेन्ट की उक्त जेब को सुखाया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क–पी अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी से परिवादी के बिलों से सम्बंधित पत्रावली व रिकॉर्ड के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि मैने इनके बिलों का भुगतान कर दिया है मेरे पास इनके कोई बिल बकाया नहीं हैं एवं इनके बिलों से सम्बंधित पत्रावलियां नगर परिषद सवाई माधोपुर कार्यालय में है। उक्त पत्रावली/रिकॉर्ड को सम्बंधित से पृथक से प्राप्त किया जायेगा। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह लैपटाप से जोडकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। उक्त क्वाटर सरकारी है एवं मुख्य रोड पर स्थित होने व चेयरमैन से मिलने वालों, आसपडौस व आरोपी के सम्बंधियों के यहां आने व सम्भावित भीडभाड व अव्यवस्था के मध्यनजर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रैपशुदा आरोपी श्री विमल चंद चेयरमैन मय परिवादी, हमराही जाप्ता, ट्रैप बोक्स, लैपटॉप प्रिन्टर व जब्तशुदा आर्टिकल्स के वहां से रवाना होकर पुलिस थाना पहुंचा जहां अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी श्री विमल चंद महावर पुत्र श्री बजरंग लाल महावर, उम्र 52 साल, जाति महावर, निवासी गुरूद्वारे के पास ब्रहम्पुरी मोहल्ला सवाई माधोपुर हाल चेयरमैन नगर परिषद जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष, परिवादी व आरोपी श्री विमल चंद महावर चेयरमैन के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 21.10.2022 को हुई वार्ता जो सरकारी डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ता को गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात वार्ता की सीडी बनवाने हेतु पांच खाली सीडी मंगवायी जाकर पांचो सीडियों को खाली होना सुनिश्चित कर बारी–बारी लैपटॉप की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता की पांच अलग–अलग सीडियां तैयार की गई तथा चार सीडियों को सील्ड मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वक्त रिश्वत लेन देन पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रैप कार्यवाही से आरोपी श्री विमल चंद महावर चेयरमैन नगर परिषद जिला सवाई माधोपुर ने लोकसेवक के पद पर रहते हुये, अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्ट तरीके से परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी के बकाया बिलों का भुगतान करवाने की एवज में मांग सत्यापन दिनांक 12.10.2022 के अनुसार परिवादी से 58,000 रूपये की राशि रिश्वत के तौर पर मांग करने तथा दौराने मांग सत्यापन उसमें से 20 हजार रूपये परिवादी से प्राप्त करने तथा दिनांक 21.10.2022 को वक्त रिश्वत लेनदेन परिवादी से उसमें से 30 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथो पकड़े जाने से आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री विमल चंद महावर पुत्र श्री बजरंग लाल महावर, उम्र 52 साल, जाति महावर, निवासी गुरूद्वारे के पास ब्रहम्पुरी मोहल्ला सवाई माधोपुर हाल चेयरमैन नगर परिषद जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

(चित्रगुप्त महावर)
उप अधीक्षक पुलिस
स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री चित्रगुप्त महावर, उप अधीक्षक पुलिस, एस.आई.डब्ल्यू. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विमल चन्द महावर पुत्र श्री बजरंग लाल महावर, चैयरमैन(सभापति), नगर परिषद, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 424/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार जारी की गई।

22.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3685-89 दिनांक 22.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर।

22.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।